

18⁹/₂₄

डीपीएंड के अधिवक्ता कपास्थित। अधिवक्ता
अपीलेंट द्वारा यह अपील सहान
है इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई
है तथा इस न्यायालय का सुनवाई
अधिकार नहीं है। इस पर अन्य संज्ञान
न्यायालय में पेश करते की अनुमति
के साथ यह डीपीएंड विद्वा क्रिये जाने
का निवेदन क्रिया है, जो स्वीकार
क्रिया जाता है। पत्रावली जरिये विद्वा
निर्णय वृत्तार लेकर नम्बर से कम हो
व साक्षि दत्तार हो।

अन्य संक्षम
न्यायालय में पेश
करने की अनुमति
के साथ विद्वा

NO process

अधीन
जिला कलक्टर
बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

